न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं.– 719/2021

1. राकेश पुत्र कन्हैयालाल जाति मेधवाल निवासी धिंधवा आथुना तहसील चिडावा
2. सिलोचना पत्नी कन्हैयालाल जाति मेधवाल निवासी धिंधवा आथुना तहसील चिडावा।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र नारायणराम जाति मेधवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना ।
2. किताब देवी पत्नी शंकरलाल जाति मेधवाल निवासी बुहाना।
3. किताबों देवी पुत्री मातुराम पत्नी औमप्रकाश जाति मेधवाल निवासी बुहाना हाल आबाद उण तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
4. बृजलाल पुत्र नारायणराम जाति मेधवाल निवासी बुहाना।
5. मणी पुत्री मातुराम पत्नी फुलसिंह जाति मेधवाल निवासी बुहाना।
6. विद्या देवी पुत्री मातुराम पत्नी हरिसिंह जाति मेधवाल निवासी बुहाना हाल आबाद धडून्दा जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
7. बिमला पुत्री मातुराम पत्नी रामफल जाति मेधवाल निवासी बुहाना हाल आबाद उण तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
8. शंकर पुत्र शीशराम जाति मेधवाल निवासी बुहाना।
9. सरती पत्नी शीशराम जाति मेधवाल निवासी बुहाना।
10. हरिराम पुत्र मातुराम जाति मेधवाल निवासी बुहाना।
11. राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
12. मधु पुत्री श्रीराम जाति मेधवाल निवासी मेधपुर तहसील बुहाना।

प्रार्थनापत्र अं0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 06–06–2022

–:निर्णय:–

आवेदक की ओर से हस्तगत प्रार्थनापत्र धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय को पेश किया कि –

1.यह कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित जमाबंदी सं. 2075–78 के हाल खसरा नम्बर 3677/3651 रकबा 0.05 है, खसरा नम्बर 2965/2963 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 3650/2969 रकबा 0.25 किता 3 रकबा 0.35 है. आवेदकगण के नाम से दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:11:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

2.यह कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 809 रकबा 1.19 है. अनावेदकगण 1 लगायत 9 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा इस भूमि के दक्षिण में सटता हुआं खसरा नम्बर 935 / 1 आम रास्ता (सड़क) है।

3.यह कि आवेदन पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 3677 / 3651 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 3650 / 2969 रकबा 0.25 है. में से कोई कटानी रास्ता आने जाने के लिए नही है। आवेदकगण खसरा नम्बर 809 रकबा 1.10 है. जिसमें आवेदकगण स्वयं भी संयुक्त खातेदार है इस भूमि में से ही आवागमन करते है। तथा में से रास्ता मौके पर है जो खसरा नम्बर 809 के दक्षिण में स्थित सड़क तक है लेकिन राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 809 में से कोई रास्ता दर्ज नही होने के वजह से आवेदकगण को अपनी भममि तक गाडी, ट्रेक्टर और स्वयं आने जाने के लिए अनेक असुविद्याओं का सामना करना पडता है। इसलिए आवेदकगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 3677 / 3651 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 3650 / 3669 रकबा 0.25 है. तक पहुंचने के लिए 18 फुट चौडा रास्ता की आवश्यकता है।

4.यह कि आवेदकगण खसरा नम्बर 809 के सहखातेदारों (अनावेदकगण) को नियमानुसार डीएलसी का दुगना भुगतान करने को तैयार व ततपर है अथवा न्यायालय श्रीमानजी जो भी आदेश करते है उसकी पालना के लिए तत्पर है।

5.यह कि मौके पर खसरा नम्बर 809 में से खसरा नम्बर 3677 / 3651 तक रास्ता मौजुद है तथा इसी रास्ते से आवेदकगण अपनी भूमि तक बस गाडी, ट्रेक्टर ले जाते है। स्वयं आवागमन करते है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से अनावेदकगण बन्द करने की धमकी दे रहे है। इसलिए आवेदकगण को उक्त आवेदन पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआं है।

अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत 251 क पेश कर निवेदन है कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 809 रकबा 1.19 है. में से उत्तर दक्षिण में स्थित सड़क से लेकर उत्तर में स्थित आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 3650 / 2969 व खसरा नम्बर 3677 / 3651 तक आने जाने के लिए 18 फुट चौडा रास्ता जिसको नजरी नक्शे में मार्के ए से बी दर्शाया गया है के कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कर सीमा चिन्ह कायम किये जाने की कृपा करे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 स्वयं उपस्थित होकर जबाव पेश किया। अप्रार्थी संख्या 10, 12 की ओर से श्री गुलशन डांगी एडवोंकेट ने वकालतनामा पेश किया गया, जबाव पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 की बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:11:57 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि– भूमि खसरा नम्बर 3677 / 3651 रकबा 0.05 है. स्वयं रास्ता है तथा खसरा नम्बर 3965 / 2963 रकबा 0.05 है. भी रास्ता है। खसरा नम्बर 3650 / 2969 रकबा 0.25 है. खातेदारी की भूमि नही है। बल्कि यह आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि है जिसका सम्पूर्ण रकबा 0.25 है. आवासीय

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रयोजनार्थ है अर्थात अब यह कृषि भूमि नही है। खसरा नम्बर 3650/2969 से सटकर रास्ता खसरा नम्बर 2972/810 तथा पूर्व में रास्ता खसरा नम्बर 2965/2963 एवं उसके पूर्व में रास्ता ही स्थित है इस प्रकार ना तो मौके पर कृषि भूमि है और ना ही उसके लिये रास्ता की आवश्यकता है। खसरा नंम्बर 809 रकबा 1.19 है. संयुक्त खातेदारी की भूमि है। खसरा नम्बर 3677/3651 स्वयं रास्ता है तथा खसरा नम्बर 3650/2969 आवासीय भूमि के लिये रास्ता का प्रावधान धारा 251 के राज. कास्तकारी अधिनियम में नही है अर्थात जो रास्ता आवेकदगण ने मांगा है वह कानुन के विपरित है तथा खसरा नम्बर 809 स्वयं आवेदक ने ही अपनी संयुत खातेदारी की होना बताई है तो किसी भी खातेदार को स्वयं की भूमि में से सुखाधिकार प्राप्त नही होता है एवं 251 क में खुद की भूमि में खुद खातेदार को रास्ता दिये जाने का प्रावधान नही है। आवेदक ने अपनी भूमि का विभाजन करवाया तो उसे विभाजन में मौके पर रास्ता दिया गया है। अब खसरा नम्बर 809 का खाता विभाजित करवा सकता है धारा 251 क में इस प्रकार से रास्ता दिये जाने के प्रावधान नही है। नजरी नक्शा में गलत दर्शाया गया है ना ही नजरी नक्शा की नकल दी गई है। खसरा नम्बर 809 में से धारा 251 क के प्रावधानों के अनुसार रास्ता ना तो दिया जा सकता है ना ही आवेदक इसको मांग सकता है। इसलिए कानुन के विपरित कोई निर्णय पारित नही हयिा जा सकता है। खसरा नम्बर 3677/3651 तो स्वयं ही रास्ता है उसका रकबा केवल 0.05 है. होने के साथ–साथ नक्शा में भी रास्ता ही दर्शाया गया है इस प्रकार आवेदक ने यह झुठा आवेदन किया है। जो खारीज योग्य है। अतः जबाव आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र खारीज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 4 स्वयं उपस्थित होकर जबाव पेश प्रस्तुत किया है कि– भूमि खसरा नम्बर 809, 815, 947, 948 और 3538/935 कुल रकबा 3.57 है. हमारी पैत्तिक भूमि है। मेरे द्वारा इस कृषि भूमि 2/5 हिस्से पर खसरा नम्बर815 व 947 में से 0.04 है. भूमि को रास्ते वास्ते दिनांक 29.06.2010 को रास्ते वास्ते दिया था। मैने अपनी भूमि पर पेड पौधे लगा रखे है तथा इनकी सुरक्षा के लिए तार–बाड कर रखी है। मै अपनी कृषि भूमि से सन्तृष्ट हुॅं मुझे किसी प्रकार का कोई विवाद नही है।

अप्रार्थी संख्या 10, 12 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि– भूमि खसरा नम्बर 3677/3651 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 2965/2963 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 3650/2969 रकबा 0.25 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.35 है. अपने नाम से दर्ज होना दर्ज किया है। आवेदनगण ने जान बुझकर दर्ज नही किया कि उपरोक्त वर्णित भूमि किस किस्म की है। उक्त भूमि आवेदकगण की खातेदारी भूमि नही है बल्कि उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ की भूमि है जिसमें से भूमि खसरा नम्बर 3650/2969 रकबा 0.25 है. भूमि आवासीय प्रयोजन की है शेष भूमि [illegible] नम्बर 3677/3651 रकबा 0.05 है. खसरा नम्बर 2965/2963 [illegible] जिसका नक्शा ट्रेस देखने से भी उक्त तथ्य स्पष्ट हो जाते है। भूमि खसरा नम्बर 3650/2969 से सटकर रास्ता खसरा नम्बर 2977/810 है इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदकगण ने जिस भूमि के लिए यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया वह ना तो मौके पर कृषि भूमि है तथा ना ही इसके लिए रास्ते की कोई आवश्यकता है। वर्तमान में अनावेदक संख्या 7 बिमला का भूमि खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:11:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
जिला झुन्झुनूं (राज.)

809 रकबा 1.19 है. में कोई हक व हिस्सा नही है। उसके स्थान पर अब अनावेदक/उत्तरदाता मधु पुत्री श्रीराम खातेदार बन चुकी है। खसरा नम्बर 3677/3651 रकबा 0.05 है. मौके पर रास्ता ही है नक्शे ट्रेस में भी उक्त खसरा नम्बरों को रास्ते के रूप में दिखाया गया है। भूमि खसरा नम्बर 3650/2969 रकबा 0.25 राजस्व रिकार्ड में आवासीय प्रयोजन हेतु दर्ज है तथा मौके पर भी कास्त नही होकर आवासीय प्रयोजन हेतु दर्ज है। धारा 251 क में कृषि भूमि में से आवासीय भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नही है। बल्कि किसी खातेदार कास्तकार को या तो खातेदार कास्तकारों के किसी समुह को अपनी जोत में से होकर नया मार्ग या विद्यमान मार्ग को विपरित या चौडा करने का ही प्रावधान है इस प्रकार आवेदकगण ने उक्त राजस्व रिकार्ड के कानुन के प्रावधानों के विपरित मांगा है। आवेदकगण व राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 809 आवेदकगण व अनावेदकगण संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। आवेदकगण भूमि खसरा नम्बर 809 रकबा 1.19 है. का अपने हिस्से का खाता विभाजन करव सकते हैं। अतः जबाव आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र खारीज किया जावे।

तहसीलदार बुहाना से मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई । तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट के मुताबिक वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 3677/3631 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 2965/2963 रकबा 0.05 है. खसरा नम्बर 3650/2969 रबा 0.25 है में अपने स्वयं के खेत में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 809 में से 20 फुट चौडा रास्ता की मांग की है। सड़क से खसरा नम्बर 3677/3651 तक जाने के लिए खसरा नम्बर 809 में सड़क से लेकर उसके खेत की दूरी 48 मीटर है। 288 मीटर भूमि खसरा नम्बर प्रस्तावित है। नजरी नक्शा सलंग्न है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नजदीक नहीं लगता है।

अनावेदकगण संख्या 12 की ओर तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट दिनांक 20-01-2022 पर आपत्ति प्रस्तुत कि– भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट बनाने से पूर्व पक्षकारान को कोई सूचना नही दी गई और ना ही कोई नोटिस दियाा गया। उक्त मौका रिपोर्ट अनावेदकगण / उत्तरदाता की गैरहाजरी में आवेदकगण से मिलकर बनाई गई है। जिससे अनावेदकगण को भारी हकतलफी है। मौका रिपोर्ट खसरा नम्बर 2965/2963 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 3677/3651 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 3650/2969 रकबा 0.25 है. में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 809 में से रास्ता बाबत प्रस्तुत की गई है। उक्त खसरा नम्बर 3650/2969 राजस्व रिकार्ड व मौके पर आवासीय प्रयोजन की भूमि है तथा खसरा नम्बर 3650/3651 मौके व नक्शे ट्रेस के अनुसार रास्ता है तथा रास्ते के रूप में ही काम आ रहा है इसके अतिरिक्त भूमि खसरा नम्बर 809 आवेदकगण व अनावेदकगण / उत्तरदाता की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा भूमि खसरा नम्बर 3650/2969 रकबा 0.25 है. को आवेदकगण ने नियमानुसार आवेदक कर कृषि प्रयोंजन से गैर कृषि आवासीय प्रयोजन में संपरिवर्तन करवाया है जिसके लिए संपरिवर्तन से पूर्व उक्त भूमि का मुख्य मार्ग से भूमि तक रास्ता दर्ज किया गया जाना संपरिवर्तन नियमानुसार आवश्यक होता है। जिसका नक्शा भी तैयार किया जाता है। मौका रिपोर्ट 20-01-2022 में उक्त समस्त तथ्यों को दर्ज नही किया गया है। मनमाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:11:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

तरीके से रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायहित में यह आवश्यक है कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार सभी पक्षकारान को सूचना दी जाकर व आपत्ति में वर्णित सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये पुन मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे।

आपत्ति प्रस्तुत करने पर नकल अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलवाई गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आपत्ति जबाव प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस करने हेतु निवेदन किया । अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 10 व 12 अनुपस्थिति तथा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित । बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 12 ने आपत्ति में अंकित किया है कि भू अभिलेख निरीक्षण द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय पक्षकारान को सूचित नही किया गया। मौका रिपोर्ट के साथ सलंग्न नोटिस क्रमांक भू.अ. / 2022 / स्पे—1 दिनांक 05—01—2022 के द्वारा समस्त पक्षकरान को नोटिस जारी किये गये है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अंकित किया है कि खसरा नम्बर 3650 / 2969 राजस्व रिकार्ड व मौके पर आवासीय प्रयोजन की भूमि है । इस स्म्बन्ध में यह है कि खसरा नम्बर 3677 / 3651 किस्म भूमि बारानी है और तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है।

न्यायालय का यह मत है कि भूमि खसरा नम्बर 3677 / 3651 की किस्म बारानी—1 है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट- के अनुसार भूमि कृषि योग्य है। राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 251 क कास्तकार अपने खातेदारी खेत / मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन / रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को देखते हुए आवेकगण को रास्ता के प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः अनावेदकगण की आपत्ति इसी स्तर पर खारी की जाती है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बुहाना से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार अनावेदक के खेत खसरा न0 809 रकबा 1.19 है. किस्म बारानी—1 आवेदकगण व अनावेदकगण की संयुक्त खातेदारी है। जिसमें आवेदक सं. 1 का हिस्सा 169871 / 2827440 तथा आवेदक संख्या 2 का हिस्सा 169871 / 2827440 दर्ज रिकार्ड है। आवेदकगण अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 809 में सेअपनी एकल खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3677 / 3671 में जाने हेतु 48 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा रास्ता चाहा गया है। न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत / मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन / रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है। क्षति पुर्ति के बिन्दुओं पर सुना गया। पक्षकारान में सहमति नहीं बनी। नियमानुसार निर्धारित दर के निर्धारित गुणा के अनुसार प्रतिकार का भुगतान किया जाना उचित है। तहसीलदार बुहाना क्षतिपूर्ती का नियमानुसार आंकलन कर राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:11:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

राजकोष में जमा करावे। रास्ते का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की सुविधा की दृष्टि से राउण्ड फिगर अर्थात हैक्टेयर के डेसिमल तक ही रखा जावे। रास्ते की चौड़ाई रास्ते में दिए गए रकबे के लम्बाई के अनुपातिक तय की जावे। पक्षकारान में सहमति नही बनी। नियमानुसार निर्धारित दर के निर्धारित के अनुसार का भुगतान किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम बुहाना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 809 रकबा 1.19 है. में से रकबा 48 मीटर लम्बाई तथा 6 मीटर चौडा यानि 48 x 6 = 288 वर्ग मीटर (नजरी नक्शे प्रदर्श–'अ' के अनुसार) प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 3677/3651 में आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अमल की दृष्टि से राउण्ड फिगर अर्थात एयर में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में **"गैर मुमकिन रास्ता"** के रूप मे सरकारी खाते में दर्ज की जावे। इस रास्ते से अन्यजन के रास्ते के उपयोग–उपभोग के अधिकार भी बने रहेगे। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति की राशि नियमानुसार डीएलसी दर से आंकलन कर राशि की दुगनी राशि राजकोष में जमा आदेश दिये जाते है। मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने पर नियमानुसार संम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। अप्रार्थीगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। राजकोष में राशि जमा होने पर तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह, पत्थरगढी कायम कर कब्जा सुपुर्द किया जावें। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 06-06-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested